रस्‍टाम्प: कोर्ट फी दस रुपये (Rs.10) — विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्र. /एक/2017 निगरानी

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1586

दिनांक 5.6.2017 को श्री एल. एस. धाकड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

5-6-2017

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
05/06/17

रामगोपाल भरभूंजा (भुर्जी) पुत्र स्वं श्री बल्लू उर्फ बजराम भरभूंजा (भुर्जी) निवासी– रिपटा चौराहा, लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1– बद्री पुत्र धर्मा अहिरवार

2– मोहनलाल पुत्र नतथू अनुरागी

3– मुकेश कुमार पुत्र कैलाशनाथ निगम

4– लक्ष्मीचंन्द्र चौरसिया पुत्र मूलचंन्द्र चौरसिया

5– दिब्बी पुत्र रामदयाल चौरसिया

6– मोतीलाल पुत्र नत्थू अहिरवार

7– जगप्रशाद पुत्र धन्नी प्रजापति

8– संतोष कुमार पुत्र छेदालाल चैरसिया

9– रमेंश कुमार पुत्र भगवानदास अनुरागी

10– हरीराम पुत्र रामस्वरूप अनुरागी

11– सत्यनारायण पुत्र बैनीप्रशाद तिवारी

12– आशाराम पुत्र बिंदा बसौर

13– उत्तम पुत्र चंदीदीन चैरसिया

14– रूपकिशोर पुत्र राजन चौरसिया

15– संतोष कुमार पुत्र प्रमचंन्द्र जैन

16– प्रदीप बरानिया पुत्र किशन बरानियां

17– संतोष कुमार पुत्र प्रेमचंन्द्र जैन

18– रविशकर पुत्र स्वामीदीप

19– अरविन्द्र कुमार पुत्र राजाराम गुप्ता

20– ब्रजमोहन पुत्र मन्नूलाल गुप्ता

21– नत्थू पुत्र बुला प्रजापति

22– गीता पुत्री दीनदयाल

निवासीगण–लवकुशनगर,तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

..........अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र 07/अ–13/16–17 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत :–

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क्र. 1819 रकवा 0.085 हैक्टेयर लगान 0.94 रूपये जो मौज़ा लवकुशनगर (लौडीं) तहसील लवकुशनगरा, जिला छतरपुर में स्थित है। उक्त भूमि का आवेदक ने विधिवत सीमांकन तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्र.क. 66/अ–12/15–16 से आदेश दिनांक 25.09.16 को सरहदी कृषिकों की मौजूदगी में राजस्व निरीक्षक महोदय लवकुशनगर के द्वारा कराया गया था।

2– यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क्र. 1819 में कभी किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा है, तथा उक्त भूमि में से किसी प्रकार का सार्वजनिक निस्तार व उपभोग रहा है। किन्तु बद्री प्रशाद, नत्थू मुकेश, रूपकिशोर आदि के द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय लवकुशनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 133 जा.फो. के अर्तगत दिनांक 27.09.16 को प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन था। किन्तु अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के समक्ष भी एक आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपने प्रकरण को तहसीलदार महोदय के समक्ष भेज दिया गया जवकि धारा 133 जा.फो. के प्रकरण में श्रवण करने का अधिकार सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ही प्राप्त है।

3– यह कि, आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 10 सि.प्र.स. का प्रस्तुत किया। जिसमें निवेदन किया गया कि– जब दोनो प्रकरण रास्ते के विवाद के संबंध में प्रस्तुत किये है जिससे दोनों ही प्रकरणों की विषय वस्तु एक ही होने से दोनो ही प्रकरणों का चलाया जाना उचित नहीं है। प्रकरण इसी बिन्दु पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय लवकुशनगर के समक्ष धारा 133 जा.फो.का विचाराधीन है ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 131 का प्रकरण प्रचलन न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 1586

रामगोपाल भरमूंजा विरूद्ध बद्री आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तसीलदार लवकुशनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–13 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतुं प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 26/4	